

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर, पाली

क्रमांक एफ 12(3)रेव/राज/18/2318

दिनांक- 31/10/18

-:आदेश:-


उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 6(9)राजस्व-6/96/पार्ट/39 जयपुर, दिनांक 8.12.10 एवं नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग व राजस्व विभाग से जारी परिपत्र एवं संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक प. 1(238)राज.-3 /2016 जयपुर, दिनांक 05.06.2018 की पालना में नगरीय सीमा सुमेरपुर में स्थित राजकीय भूमियों को पालिका के विकास हेतु उराके पक्ष में हस्तान्तरण करने की स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

क्र.सं.	राजस्व ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल	किस्म
1.	कोलीवाड़ा	870	0.61	बारानी सोयम
2.	कोलीवाड़ा	871	0.53	बारानी सोयम
3.	कोलीवाड़ा	872	0.58	बारानी सोयम
4.	कोलीवाड़ा	873	1.20	बारानी सोयम
5.	कोलीवाड़ा	874	4.89	बारानी सोयम
6.	कोलीवाड़ा	876	0.73	बारानी सोयम
7.	कोलीवाड़ा	879	0.82	बारानी सोयम
8.	कोलीवाड़ा	888/1205	0.82	बारानी सोयम
9.	कोलीवाड़ा	889	2.15	बारानी सोयम
10.	कोलीवाड़ा	890	8.02	बारानी सोयम
11.	कोलीवाड़ा	891	0.73	बारानी सोयम
12.	कोलीवाड़ा	892	0.28	बारानी सोयम
13.	कोलीवाड़ा	875	20.64	गै.मु.मगरा
14.	कोलीवाड़ा	877	1.14	गै.मु.मगरा
15.	कोलीवाड़ा	894	18.25	गै.मु.मगरा
	कुल योग		61.39 हैक्टेयर	

अतः नगर पालिका, सुमेरपुर परिधि क्षेत्र में स्थित उपरोक्त खसरों की भूमि नगर पालिका, सुमेरपुर को निम्नांकित शर्तों पर हस्तान्तरित की जाती है।

1. यह कि अधिसूचना दिनांक 2.6.09 के अनुसार लगान की 40 गुना पूंजीगत राशि का निर्धारण तहसीलदार, सुमेरपुर द्वारा किया जाकर एवं राशि जमा होने के पश्चात् आवंटित भूमि का कब्जा प्राप्त करेंगे।
2. राज्य सरकार से भू उपयोग परिधी नियंत्रण पट्टी से आवासीय किये जाने की स्थिति में आवासीय योजना हेतु भूमि प्रयोग में लाई जावेगी।
3. अधिसूचना क्रमांक एफ.6(9)रेव-6/96/पार्ट/39 दिनांक 8.12.2010 के अनुसार विक्रय, आवंटन अथवा नियमितिकरण के फलस्वरूप प्राप्त राशि का 2 प्रतिशत राज्य सरकार के खाते में मद 0029 भू राजस्व में तत्काल जमा कराना होगा। विलम्ब की स्थिति में 12 प्रतिशत ब्याज सहित राशि भू राजस्व की बकाया की तरह वसूल योग्य होगी।
4. उपरोक्त हस्तान्तरित भूमि अगर अब्दुल रहमान बनाम सरकार में हुए निर्णय में दिए गए निर्देशों की पालना से प्रभावित हो तो, निर्णय के अधीन जारी निर्देशों के अनुरूप ही अपयोग में लिया जा सकेगा।




(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली